



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2023 / 224

दर्ज तिथि:-27.07.2023

1. छगनाराम पुत्र हरजीराम  
जाति कुम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. किशनाराम पुत्र हरजीराम
3. पारू देवी पत्नी छोगाराम
4. बलदेवराम पुत्र छोगाराम
5. भगाराम पुत्र गुणेशाराम
6. भंवराराम पुत्र गुणेशाराम
7. मथरों देवी पत्नी गुणेशाराम फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 5,6,10
8. सुरेश कुमार पुत्र छोगाराम
9. सांवलाराम पुत्र हरजीराम
10. हीराराम पुत्र गुणेशाराम
11. नरसीराम पुत्र गुणेशाराम  
जाति कुम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
12. प्रबंधक पीएनबी शाखा गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री डालूराम चौधरी

अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.12.2024


1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 130/1/2.1044 है0, मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा






निर्णय दिनांक:-18.10.2024

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 130/1 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 130 मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु परिशिष्ट-अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार

गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भूअ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-



7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-
1. वर्तमान राजस्व नक्शों में खसरा संख्या 130/1 की तरमीम बेचाननामा दस्तावेज में अंकित पडोसियान के अनुसार नहीं है।
  2. वर्तमान राजस्व नक्शा में रजिस्ट्री में दर्ज पडोसियान अनुसार तरमीम नहीं है। बेचान दस्तावेज में परिशिष्ट संलग्न नहीं है तथा उक्त बेचान नामे के अनुसार दर्ज नामांतरण संख्या 289 की पुस्त पर भी तरमीम अंकित नहीं है।
  3. बेचान दस्तावेज में दर्ज पडोसियान अनुसार ही उक्त खसरा संख्या 130/1 मौके पर काबिज काश्त है। कब्जा काश्त तथा बेचान दस्तावेज में दर्ज पडोसियान अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।
8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 130/1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 130 मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु पंजीकृत बयनामा संख्या 909/2001 में अंकित दिशाओं व मौके पर कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु पंजीकृत बयनामा संख्या 909/2001 में अंकित दिशाओं व मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2313 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर